Geography

Explore–Journal of Research for UG and PG Students
ISSN 2278 – 0297 **(Print)**
ISSN 2278 – 6414 **(Online)**
© Patna Women's College, Patna, India
http://www.patnawomenscollege.in/journal

पश्चिम पटना नगर क्षेत्र में घरेलू हिंसा, एक क्षेत्रीय अध्ययन

• ***Suruchi Sinha*** • ***Ratan Priya*** • ***Pragya Prakhar***
• ***Awadhesh Kumar***

Received : November 2014
Accepted : March 2015
Corresponding Author : Awadhesh Kumar

Abstract : घरेलू हिंसा एक बेहद गंभीर सामाजिक समस्या है, किसी भी परिवार द्वारा उसी परिवार के दूसरे सदस्यों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना देना घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा किसी एक वर्ग या समाज तक सीमित नहीं है। कमोबेश समाज के सभी तबकों और वर्ग के व्यक्ति इसका शिकार होतें हैं। निम्न आय वाले घरों में और अशिक्षित परिवारों में घरेलू हिंसा की घटनाओं का प्रतिशत अधिक है।

चूँकि हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज है, अत: महिलाएँ ही मुख्य रूप से घरेलू हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्या से लड़ने के लिए सरकार और कानून के साथ हमारे समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है।

संकेत शब्दः- घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, महिला अपराध निर्वारक उपाय

Suruchi Sinha
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Ratan Priya
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Pragya Prakhar
B.A. III year, Geography (Hons.), Session: 2012-2015,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

Awadhesh Kumar
Assistant Professor, Department of Geography,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna – 800 001, Bihar, India
E-mail : awadhesh.pwc.@gmail.com

परिचय (Introduction) :

घरेलू हिंसा का तात्पर्य प्रतिवादी के किसी कार्यलोप या आचरण से है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावात्मक शोषण, आर्थिक उत्पीड़न इत्यादि शामिल है। व्यथिता और उसके किसी संबंधी को दहेज, या किसी अन्य संपत्ति की माँग हेतु हानि या नुकसान पहुँचाना, उसके आर्थिक संसाधनों और स्रोतों को अपने कब्जे में ले लेना भी इसी के अधीन आता है। घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि महिला आवाज मुखर करती है तो इसका तात्पर्य होता है-अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिवर्तन की बात करना। प्राय: देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अंहकार, अपमान तथा विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। परिवार में हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएँ ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चे भी बन जाते हैं। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक संरचनाएँ जिस तरह की है उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमजोर रही है, वहीं हमारे देश में यह माना जाता है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है। क्योंकि तुलसी दास जी कहते हैं- 'शूद्र, पशु, ढ़ोल, गंवार नारी ये सब तारन के अधिकारी', इसी तारतम्य में वर्ष 2006-2012 के मध्य में भारत में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बच्चों अथवा वृद्धों को कुछ राहत जरूर मिल गयी है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा :

पुलिस- महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख हैं।

राज्य महिला आयोग- कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। महिला संरक्षण अधिनियम २००५ घरेलू हिंसा के विरूद्ध उसे संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

आधार शिला (एन.जी.ओ.)- परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक-हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक-हिंसा भी घरेलू-हिंसा संरक्षण अधिनियम २००५ के तहत अपराध की श्रेणी में आते है।

(पुलिस, राज्य महिला आयोग तथा एन. जी. ओ. द्वारा घरेलू हिंसा की जो परिभाषाएँ दी गई हैं उनका ताप्पर्य लगभग एक जैसा ही है हालांकि भाषा परिवर्तित है।)

घरेलू हिंसा-विश्व की स्थिति :

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (१९७५-८५) के दौरान एक पृथक पहचान मिली थी। सन् १९७९ में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। विश्व के अधिकांश देश में पुरूष प्रधान हैं। पुरूष प्रधान समाज में सत्ता पुरूषों के हाथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध, कम महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना बलवती रही है। ईरान, अफगानिस्तान की तरह भारत जैसे विकासशील देश में भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अमेरिका में एक नियम है, जिसके अनुसार महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उस अनुसार यदि एक परिवार में माँ और बेटा है तो वे एक ही शयन कक्ष के मकान के हकदार होंगे। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जैस देश में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद अमेरिका में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

भारत में घरेलू हिंसा :

दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पाँच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमे से मात्र ०.१ प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण :

पालन-पोषण में पितृसत्ता अधिक महत्व रखती है इसीलिए लड़की को कमजोर तथा लड़के को साहसी माना जाता है। व्यक्तित्व स्वातंत्र्य को बालिका के जीवन की आरंभ अवस्था में ही कुचल दिया जाता है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्न माने जाते हैं।

१. समतावादी शिक्षा-व्यवस्था का अभाव।

२. महिला के चरित्र पर संदेह करना

३. शराब की लत।

४. इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुष्प्रभाव।

५. महिला को स्वावलम्बी बनने से रोकना।

घरेलू हिंसा का दुष्प्रभाव :

महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके कारण महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में आपसी रिश्तों और आस-पड़ोस के साथ रिश्तों व बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है ।

- घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु, हत्या और

आत्महत्या बढ़ी है। वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी कारण बढ़ी है।

- महिला की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती है। महिलाओं की कार्य क्षमता घटती है, साथ ही डरी-डरी भी रहती है। परिणामस्वरूप प्रताड़ित महिला मानसिक रोगी बन जाती है जो कभी-कभी पागलपने की हद तक पहुँच जाती है।
- पीड़ित महिला के घर द्वितीय श्रेणी की स्थिति स्थापित हो जाती है।

पुलिस की भूमिका :

- घरेलू हिंसा के प्रकरणों में कई बार पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की जाती, सिर्फ रोजनामचे में लिखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रताड़ित महिलाओं को एफ0 आई0 आर0 की नकल नहीं दी जाती। मांगने पर अकारण परेशान किया जाता है। आँकड़े बढ़ जाएँगे इस कारण प्रकरण पंजीबद्ध करने से पुलिस बचती है।
- पति द्वारा महिलाओं को पीटने अथवा मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस बड़ा मुद्दा नहीं मानती। अक्सर उसका कहना होता है कि 'पति ने ही तो पीटा है ऐसी क्या बात हो गई, पति मारता है तो प्यार भी करता है।' यह कहकर पुलिस प्रताड़ित महिला को टाल देती है। चूंकि महिला की शारीरिक चोट पुलिस को दिखाई नहीं देती इसलिए भी वह उसे गंभीरता से नहीं लेती।
- थाने में सिर्फ एक या दो महिला सिपाहियों की ही पदस्थापना की जाती है। महिला या घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों में प्रायः उनके हस्तक्षेप कम कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अधिकारी सहित बहुमत पुरूष का है। यही कारण है कि महिला पुलिसकर्मी भी घरेलू हिंसा की शिकार महिला की ज्यादा मदद नहीं कर पाती है। कई बार तो उनका ही शोषण कर लिया जाता है।
- थाना स्तर पर संवेदनशील लोग नहीं हैं।
- पुलिसकर्मी रिश्वत लेकर प्रताड़ित महिला को समझौते के लिए विवश करते हैं अथवा प्रकरण को कमजोर कर देते हैं।
- पुलिस का कहना होता है कि दहेज तथा घरेलू हिंसा के झूठे प्रकरण ही अधिक होते हैं।
- डाकन, नाता आदि मानसिक यंत्रणाओं के मुद्दे पर पुलिस असंवेदनशील है। पुलिस का कहना है कि यह सामाजिक मुद्दा है, पुलिस का नहीं।
- ९८, प्रतिशत मामले में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है अथवा समझौता करा देती है। न तो इस समझौते में घटना का ब्यौरा होता है और न ही पति द्वारा यह लिखाया जाता है कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।

परिवार व अन्य अदालतें :

- महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालतों का गठन सन् १९८४ में किया गया था। तब यह माना था कि अब महिला को घरेलू हिंसा से राहत मिल जाएगी।
- इन अदालतों में कहा जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है पर सारे कागज वकील ही बनाते हैं और हर समय जज यही कहते हैं कि तुम्हारे वकील कहाँ हैं? उनको लाओ। यह एक बड़ा विरोधाभास है, इन अदालतों की कथनी और करनी में।
- सोचा गया था कि इन अदालतों में मामले जल्दी निबट जाएंगे पर इनमें भी समय बहुत लगता है।
- गुजारा भत्ता के आदेश हो जाते हैं पर उनका

पालन नहीं होता।

- इन अदालतों में गवाहों पर बहुत जोर रहता है। पीड़िता के लिए गवाह जुटाना मुश्किल होता है।
- अदालत में जो कांउसलर लगे हुए हैं उनके चयन में पारदर्शिता नहीं है। वे अपने विषय के विशेषज्ञ भी नहीं हैं।
- पारिवारिक अदालतों के मामलों को लेकर कोई अध्ययन नहीं हुआ है कि वहां प्रताड़ित महिलाओं को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- अच्छे वकील फीस अधिक मांगते हैं इस कारण पीड़ित महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है।

जाति पंचायतें :

परिवार-समुदायों, समुदायों की जाति पंचायतों का गाँव में अधिक और शहरों में कम प्रभाव है। इनसे जातिवाद बढ़ा है। ये पंचायतें महिलाओं के हक में नहीं हैं।

- इन अदालतों में प्रायः प्रताड़ित महिलाओं को नहीं बुलाया जाता बल्कि उनके बारे में एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाता है। हर जगह पुरूष प्रधान जाति पंचायतें ज्यादा हैं।
- जहाँ महिलाओं की संस्थाएं सक्रिय नहीं हैं वहाँ तो घरेलू हिंसा को लेकर हुए फैसले पूरी तरह एक पक्षीय रहे हैं।

हस्तक्षेप कैसे हो :

- शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं कों खुलकर शिक्षा देना चाहिये ताकि वे घरेलू हिंसा की शिकार न हों। उन्हें काउंसिलिंग तथा कानूनी ज्ञान की जानकारी देना उचित होगा।
- गाँव में यह पता लग जाता है कि किसके घर में समस्या चल रही है। शहर में यह पता नहीं लगता है इस कारण वहाँ हर स्तर पर बात करने की आवश्यकता है। शहर में समस्याग्रस्त महिलाओं के संदर्भ में पुरूषों पर काउंसलिंग का असर नहीं होता। इसी कारण पुरूष छात्रों के साथ भी काउंसिलिंग का सिलसिला स्कूल-कालेज के स्तर से ही शुरू हो जाना चाहिए।
- शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यह काम शिक्षकों का है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिये।
- सम्पत्ति में लड़कियों को पूरा अधिकार होना चाहिए घर का वातावरण लड़की को आत्मविश्वासी बनाता है। उसको मजबूत करने की आवश्यकता है।

पुलिस अथवा थानें का हस्तक्षेप :

- पुलिस की भूमिका काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग में घरेलू हिंसा एवं महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक थाने पर प्रतिमाह 'समस्या समाधान शिविर' आयोजित करने का आदेश निकल चुका है पर उसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। इसका दिन व समय तय होना चाहिये। अखबार/रेडियो/ दूरदर्शन पर प्रचार होना चाहिये।
- थाना स्तर पर काउंसलर होना चाहिये। विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस जब समझौता कराती है, तो एक प्रशिक्षित काउंसलर की मदद लेनी चाहिए।

महिला आयोग का हस्तक्षेप :

- महिला आयोग का महिला हिंसा के संबंध में संदेश सरकार को मिलना चाहिये। वह

ताकतवर है, यह संदेश नहीं जा रहा है। वह अपने ही निर्णय को लागू नहीं करवा पा रहा है, यह स्थिति बदलनी होगी।

- महिला आयोग को नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिये। जैसे कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। महिला विकास कार्यक्रम की क्या उपादेयता है, उसे कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। ऐसे कौन से निर्णय एवं कार्य हैं, जो महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाल रहें हैं, इन सब पर आयोग को नजर रखनी चाहिये और समय-समय पर हस्तक्षेप करते रहना चाहिये।

घरेलू हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं जैसे-

- शारीरिक उत्पीड़न- ऐसा उत्पीड़न जिसमें व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंगों को खतरा हो। शरीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न कहलाता है।
- हिंसात्मक अपराध- उग्र आक्रमक व्यवहार ही हिंसात्मक व्यवहार की श्रेणी में आता है। यह हिंसात्मक व्यवहार शरीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी । हिंसा शक्ति का ऐसा प्रयोग है जिससे किसी के शरीर, भावना या प्रतिष्ठा को आघात पहुचता हो। (मैगारगी-पेज नं० ७, अध्याय-१ महिला अपराध व कानून ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।)
- शराब-जनित हिंसा- अधिकतर घरों में शराब भी हिंसा का मुख्य कारण होती है। शराब पीने के बाद व्यक्ति का रक्त-परिसंचरण अत्यधिक तेज हो जाता है, वह बेहद उत्तेजित हो जाता है और अपने आप से उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। निम्न वर्गों में शराब-जनित हिंसा काफी होती है ।
- रक्षात्मक हिंसा- कभी-कभी व्यक्ति हिंसा से बचने के लिए भी हिंसा करना शुरू कर देता है, इसे रक्षात्मक हिंसा कहते हैं। अक्सर जब पति हिंसात्मक होने लगता है, तो पत्नी रक्षात्मक हिंसा प्रारंभ कर देती है।
- लैंगिक उत्पीड़न- लैंगिक शोषण से तात्पर्य है, किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाना इत्यादि।
- मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न- महिला को अपमानित करना, बाँझ या लड़का पैदा न होने पर ताने मारना तथा महिला के किसी संबंधी को मारने पीटने की धमकी देना।
- आर्थिक उत्पीड़न- इसका तात्पर्य है, घर के किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को आर्थिक एवं वित्तीय स्रोतों से, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, किसी महिला की निजी संपत्ति को घर के अन्य सदस्यों द्वारा हड़प लेना भी घरेलू हिंसा माना जाता हैं। अधिकतर लोगों का यह मानना है कि घरेलू हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएँ ही होती हैं, लेकिन यह धारणा पूर्ण रूप से गलत है, क्योकि न सिर्फ महिलाएँ, बल्कि पुरूष, बच्चे, बुजुर्ग एवं यहाँ तक की घरों में काम करनें वाले सेवक भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं।
- यौनिक हिंसा- हिंसा के विभिन्न रूपों में यौनिक हिंसा भी एक है। यदि कोई व्यक्ति भावात्मक इच्छा के तहत हिंसा करता है तो इसे भावनात्मक हिंसा कहते हैं। क्रोध करना इसी प्रकार का हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा को वैवाहिक हिंसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष विवाह के बंधन में बंधे होते हैं।

घरेलू हिंसा के कई आयाम हैं इसमें घर के अन्य

हरेक घरों में घरेलू हिंसा की प्रकृति और गंभीरता अलग- अलग प्रकार की होती है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में सर्वाधिक मामले निम्नांकित हैं:-

- दहेज
- हिंसक माहौल
- मदिरापान
- महिलाओं का अशिक्षित होना
- घरेलू हिंसा को सहजता के साथ स्वीकार कर लेना
- मानसिक विकार
- बेरोजगारी
- परिवार के सदस्यों में सहिष्णुता की भावना का अभाव होना
- कामकाजी महिला की आमदनी उसके साथी से अधिक होना
- संबंधियों द्वारा घरेलू हिंसा के लिए उकसाया जाना इत्यादि

घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं, जैसे कि शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, शराब जनित हिंसा, हिंसात्मक धमकी तथा यौनिक हिंसा इत्यादि।

पटना में महिलाओं के प्रति अपराध :

पटना में घरेलू हिंसा के मामलों में एकत्र मामलों में सिविलकोर्ट, अनुमण्डल पदाधिकारी, महिला आयोगों में दर्ज आँकड़ों में निम्नलिखित अपराधों को दर्ज किया गया है:-

हत्या- महिलाओं की हत्या के मामले तेजी से बढ़े रहे हैं। चरित्र पर संदेह, दहेज की मांग तथा पारिवारिक कलह के कारण महिला की हत्या करने के मामले अधिक प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ मामलों में जमीन-जायजाद को लेकर भी महिलाओं को मार जाता है। हत्या के अधिकांश मामले १५ से ४० वर्ष की उम्र के दरम्यान होते हैं।

मारपीट- घर-परिवार में ही महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। अक्सर छोटी-छोटी बातों पर उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़ता है। विशेषतः निम्न मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं से मारपीट अधिक होती है। पति की शराब की लत इसके लिए प्रमुख रूप जिम्मेदार है। २० से ४५ वर्ष तक की उम्र की महिलाएँ अधिकतर मारपीट की शिकार हो जाती हैं।

छेड़छाड़- स्कूल-कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण अधिक सामने आते हैं। वहाँ पुलिस का तैनात न होना इसका मुख्य कारण हैं। इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। २४ वर्ष से कम उम्र की युवतियाँ छेड़छाड़ की शिकार अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियों के साथ उनके घरवाले सहयोग नहीं करते बल्कि उन्हें ही घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है।

अपहरण- नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले ज्यादा हो रहे हैं। साथ ही शादीशुदा महिलाओं को भी बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया जाता है, सामान्यतः १२ से ३८ वर्ष तक की लड़कियाँ, युवतियाँ तथा महिलाओं के अपहरण के मामले अधिक हो रहे हैं।

बलात्कार- परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों के द्वारा ही बलात्कार करने के मामले अधिक हो रहे हैं। नाबालिग लड़कियों से लेकर अधेड़ावस्था की महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं। बलात्कार के एक तिहाई मामले १० से ३० की उम्र की लड़कियों तथा महिलाओं के साथ अधिक होते हैं ।

आत्महत्या- अधिकतर मामले फांसी लगाने के होते हैं। इसका मुख्य कारण पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करना अथवा ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना है। दहेज की मांग भी इसका प्रमुख कारण है। १६ से ३० वर्ष की उम्र की युवतियों तथा महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले अधिक देखे जाते हैं।

दहेज हत्या- भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ने के साथ-साथ दहेजलोभियों की मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। निम्न मध्यमवर्गीय तथा अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि उच्चवर्गीय परिवारों में भी दहेज हत्या के मामले अधिक हो रहे हैं।

प्रताड़ना- पुलिस थानों में मानसिक तथा शारीरिक

प्रताड़ना देने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गरीब तथा अशिक्षित वर्गो में प्रताड़ना के मामले अधिक होते हैं। शराब की लत, जुआ तथा आवारगी इसके प्रमुख कारण हैं।

महिलाओं की खरीद-बिक्री- महिलाओं तथा युवतियों का अपहरण कर उन्हें बेचने का कृत्य खूब फल-फूल रहा है। गरीबी के कारण भी यह धिनौना कृत्य बढ़ रहा हैं। १४ से ३० वर्ष की उम्र की युवतियों तथा महिलाओं को बेचने का घृणित धंधा तेजी से बढ़ा है। मामले का एक पक्ष यह भी है कि उन्हें खरीदने वाले पुलिस के घेरे या कानूनी सजा से बच जाते हैं।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम २००६ (The Protection of Women from Domestic Voilence Rules 2006) घर में पुरूष के साथ रह रही महिला को यदि पीटा जाता है, धमकी दी जाती है अथवा प्रताड़ित किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार है। ऐसी प्रताड़ित महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम २००६ के अंतर्गत और सहायता प्राप्त कर सकती है।

घरेलू हिंसा के उदाहरण

(1) शारीरिक हिंसा

१. मारपीट करना
२. थप्पड़ मारना
३. ठोकर मारना
४. दाँत से काटना
५. लात मारना
६. मुक्का मारना
७. धकेलना
८. किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना

(2) लैंगिक हिंसा

१. बलात् लैंगिक मैथुन
२. अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना
३. दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानित या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य कार्य अथवा जो प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का हो।

(3) मौखिक और भावनात्मक हिंसा

१. अपमान
२. गालियाँ देना
३. चरित्र और आचरण पर दोषारोपण
४. पुत्र न होने पर अपमानित करना
५. दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान
६. नौकरी करने से निवृत करना
७. नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना
८. घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना
९. विवाह नहीं करने की इच्छा पर विवाह के लिए विवश करना
१०. पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना
११. किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना
१२. आत्महत्या करने की धमकी देना
१३. कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार

(4) आर्थिक हिंसा

१. बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना
२. बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ उपलब्ध न कराना
३. रोजगार चलाने से रोकना अथवा उसमें विध्न डालना
४. रोजगार करने के अनुज्ञात न करना
५. वेतन पारिश्रमिक इत्यादि से आय को ले

२. पीड़ित घरों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करना

३. प्रभावित व्यक्तियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का अध्ययन करना

अध्ययन क्षेत्र (Study Area) :

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र पटना शहर है। जो ७२ वार्डों में विभक्त है, अध्ययन के लिए निम्न इलाकों का चयन किया गया है-

- पटना जंक्शन
- बोरिंग रोड
- दीघा
- एस0 के0 पुरी
- राजा पुल
- गांधी मैदान और
- आशियाना नगर इत्यादी

परिकल्पना (Hypothesis) :

प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं-

- आमतौर पर महिलाएँ ही घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, तथा
- अशिक्षा और कम आय वाले परिवारों में हिंसात्मक घटनाओं का प्रतिशत काफी अधिक है
- मद्यपान घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में एक है

विधि तंत्र (Methodology) :

प्रस्तुत अध्ययन तीन चरणों में पूरा किया गया है, जो निम्नलिखित है-

१. प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह - पहले चरण में प्राथमिक आँकड़ों को एकत्र किया गया । अध्ययन क्षेत्रों की पहचान की गई तथा उनका नक्शा तैयार किया गया, एवं उन ईलाकों की पहचान की गई जहाँ घरेलू हिंसा की घटनाएँ अधिकतर देखी व सुनी जाती हैं ।

२. क्षेत्र अध्ययन- इस चरण में तैयार किये गए प्रश्न-पत्र में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों से सूचनाएँ एकत्रित की गईं।

३. आँकड़ों का संकलन- इस चरण में एकत्र किये गए, प्राथमिक आँकड़ों का तालिका बद्ध करना, उनका विश्लेषण, कार्टोग्राफिक प्रस्तुतीकरण तथा अंत में लघु-शोध पत्र तैयार करना तथा निष्कर्ष शामिल है।

प्रतिचयन (निदर्शित क्षेत्र) (Sample) :

प्रस्तुत अध्ययन में ५० घरों को अध्ययन के अंतर्गत लिया गया है, साथ ही अस्पताल, पुलिस तथा एन. जी. ओ. के रिकार्डों का गहनता के साथ अध्ययन किया गया।

परिणाम एवं परिचर्चा (Result and Discussion) :

लिंग	संख्या	प्रतिशत
स्त्री	४१	८२%
पुरूष	०९	१८%
अन्य	-	-
कुल	५०	१००%

स्रोत- क्षेत्र सर्वे द्वारा संग्रहित-२०१४

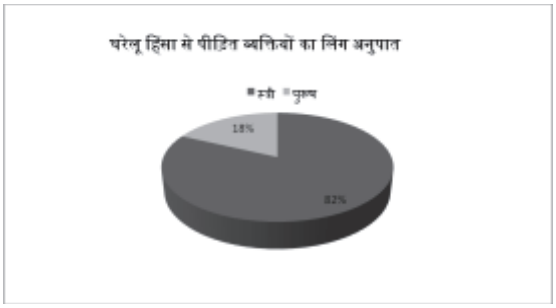

अध्ययन के द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि पीड़ित व्यक्यिों में महिलाओं का प्रतिशत काफी अधिक है। (८२%) वहीं पुरूषों का प्रतिशत मात्र १८ है। अन्य व्यक्तियों में घर में काम करने वाले, रिश्तेदार, आश्रित लोगों की कोई संख्या दर्ज नहीं की गई है।

तालिका-2

घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों की आयु संरचना

क्रम सं०	आयु संरचना	संख्या	प्रतिशत
1.	15	11	22%
2.	15–49	28	56%
3.	49–60	8	16%
4.	60+	3	06%
	कुल	50	100%

स्रोत- क्षेत्र सर्वे द्वारा संग्रहित ।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि १५-४९ वर्ष की आयु वर्ग में पीड़ित का प्रतिशत सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग की लगभग एक तिहाई महिलाओं को घरेलू हिंसा का दंश झेलना पड़ा है। घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को अध्ययन की सुविधा के लिये विभिन्न आयु वर्गों में बाँटा गया है। जिसे तालिका-२ में देखा जा सकता है, बढ़ती उम्र के साथ संख्या में तथा प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई।

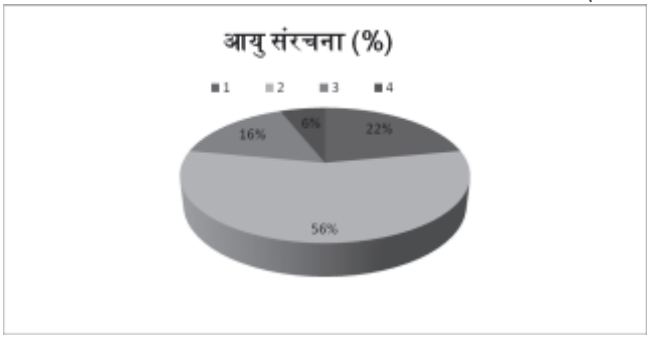

तालिका-3

पारिवारिक संरचना

पारिवारिक संरचना	संख्या	प्रतिशत
एकल परिवार	२४	४८%
संयुक्त परिवार	२६	५२%
कुल	५०	१००%

स्रोत- क्षेत्र सर्वे द्वारा संग्रहित ।

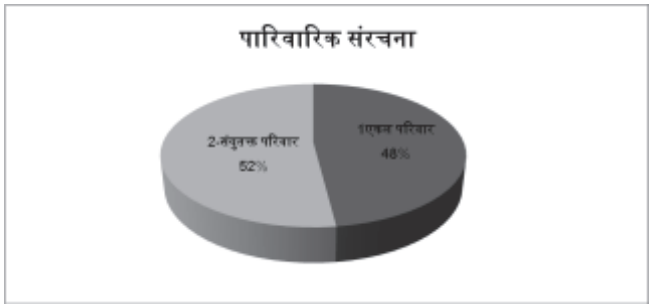

तालिका-4

क्रम सं०	घरेलू हिंसा के प्रकार	प्रतिशत
१.	शारीरिक हिंसा	56%
२.	भावनात्मक हिंसा	19%
३.	शराब जनित हिंसा	10%
४.	हिंसात्मक अपराध/धमकी	06%
५.	यौनिक हिंसा	08%
६.	रक्षात्मक हिंसा	01%
	कुल	100%

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि एकल परिवारों में संयुक्त परिवारों की अपेक्षा घरेलू हिंसा की घटनाएँ कम देखने को मिलती है पीड़ित व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर काफी कम पाया गया है।

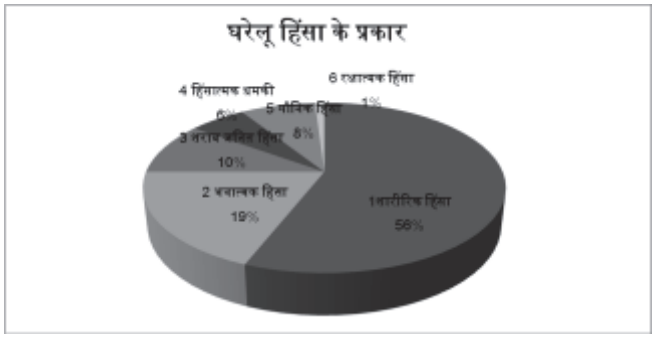

स्रोत-क्षेत्र सर्वे द्वारा संग्रहित :

सर्वेक्षित व्यक्यिों मात्र 38% ही शिक्षित पाए गए। शोध के दौरान इस बात का अनुमान हुआ कि ज्यादातर (59%) निम्न-आय वर्ग वाले परिवारों से संबंध रखते हैं। पीड़ितों का आर्थिक रूप से प्रतिवादी पर निर्भर रहना भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण माना जाता है। अध्ययन में पाया गया है कि 62% पीड़ित आर्थिक रूप से पूरी तरह प्रतिवादी पर निर्भर हैं। प्रस्तुत तालिका से यह स्पष्ट 56%

सर्वेक्षित पीड़ित आँकड़े शारिरीक हिंसा से पीड़ित हैं तथा 19% भावात्मक और 8% यौनिक हिंसा से पीड़ित पाए गए। हालाँकि घरेलू हिंसा कानूनी रूप मे एक अपराध है, परंतु मात्र 2% लोग ही इस प्रकार के मामलों में पुलिस की सहायता लेते हैं।

सुझाव (Suggestion) :

घरेलू हिंसा के निवारक उपाय

घरेलू हिंसा को पूर्ण रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।

- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- घरेलू हिंसा के खिलाफ समाज को जागरूक करना।
- लोग अपने ऊपर हो रहे हिंसा का विरोध करें।
- महिलाओं को अर्थिक रूप से मजबूत करना।
- पीड़ित व्यक्यिों द्वारा एक निवारक संस्था का निर्माण।
- घरेलू हिंसा निवारक कानून २००५ का सही ढ़ग से पालन करना।
- पीड़ितों को हर तरह से सरकारी तथा एन. जी. ओ. की मदद इत्यादि शमिल है।

निष्कर्ष (Conclusion) :

घरेलू हिंसा एक बेहद गंभीर समस्या है। ऐसी घटनाएँ हमारे समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं हैं। दिन-प्रतिदिन घरेलू हिंसा की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी हमारी मानवता के गिरते स्तर की ओर इशारा करती है। महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में यह समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं, कि भारत में घरेलू हिंसा के मामले 5.3% की दर से बढ़ रहे हैं।

अतः यह आवश्यक है कि सरकार, एन. जी. ओ. और समाज, एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें।

संदर्भ पुस्तकें *(References) :*

A Situational Analysis of Domestic Violence against Women's in Kerala: 1-31. *Panda*, P. 2004.

Choudhury S. (2012). "56% women face assault in Bihar" Times of India, 20 august. Available at *h://articles. Times of India. Indian Times.com*

'Domestic Violence against Women in Kerala'. *Kerala Research Programme on Local Level. Development Centre for Development Studies.* 6: 1-44.

NCRB, New Delhi Ministry of Home affairs. Available at *h://ncrb.gov.in*

NNHFSIII (2005-06) *Report on Bihar* (2008). Ministry of Health & Family Welfare Government of India.

Panda, P. and Agarwal, B. 2005. Marital Vilence, Human Development and Women's Property Status in India.

The Time of India (2008). 'HC ask Bihar to enforce Domestic violence Act'-31 July.

World Development. 23(5): 823-850. Centre for Women's Studies & Development the Research Institute. 2005.

महिला अपराध और कानूनः (नरेन्द्र कुमार राम)